//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–118 / 2014

उनवान

हंजा बनाम लाडू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी.

–: आदेश :– दिनांक :– 15.7.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी हंजा की मृत्यु हो गयी है। वादी का वारिस रामा है जिसको रिकार्ड पर लिये जाने हतु उक्त आवेदन अन्दर मियाद पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब नही दे कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। वादी ने उक्त आवेदन पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया। वादी का कथन है कि दिनांक 11.07.24 को वादी के पुत्र रामा ने सम्पर्क कर वादी की मृत्यु की जानकारी दी है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वादी अधिवक्ता ने यह अंकित नही किया है कि वादी की मृत्यु किस दिनांक को हुयी है। वादी द्वारा वादी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश नही किया है। वादी की मृत्यु दिनांक अंकित नही होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई औचित्य नही है। प्रकरण दिनांक 6.05.24 से साक्ष्य वादी में नियत है। वादी द्वारा पूर्व में भी वादी से सम्पर्क किया जा सकता था। वादी का कथन है कि प्रतिवादी द्वारा वादी की मृत्यु की सूचना नही दी गयी किन्तु वादी अधिवक्ता को वादी की मृत्यु की सूचना दिनांक सहित स्वयं ही पेश करनी है। पक्षकार को न्यायिक प्रकिया की जानकारी नही होना स्वभाविक है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता को वादी की मृत्यु की जानकारी होने के बाद भी अपूर्ण व अस्पष्ट तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश करना क्षमा योग्य नही है। दोनो प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी पेश नही किया गया है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। वादी का वाद अबैट होने के कारण खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:12:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद